न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 52/2018

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. हनुमानराम पुत्र श्री भूराराम(फौत) 1/1-गीता पत्नि हनुमानराम 1/2-गोपालराम उर्फ गोपाल पुत्र हनुमानराम 1/3-कन्हैयालाल पुत्र हनुमानराम 1/4-सत्यनारायण पुत्र हनुमानराम 1/5-किरणा पुत्री हनुमानराम 2. मोहनराम पुत्र श्री भूराराम 3. बद्रीनारायण पुत्र श्री भूराराम 4. जगदीश पुत्र श्री भागीरथ 5. सीताराम पुत्र श्री भागीरथ 6. धनाराम पुत्र श्री भागीरथ सभी जातियान ब्राहमण, निवासीगण-ग्राम मेलाणा तहसील बावडी, जिला जोधपुर		1. पुखराज पुत्र श्री छगाराम 2. गोपालराम पुत्र श्री छगाराम 3. बजरंग पुत्र श्री राधाकिशन 4. ओमप्रकाश पुत्र श्री राधाकिशन 5. देवी पत्नी स्व. श्री शिवनारायण सभी जातियान ब्राहमण निवासीगण ग्राम मेलाणा तहसील बावडी जिला जोधपुर 6. नायब तहसीलदार, भोपालगढ हाल बावडी जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1077 दिनांक 17.08.2004 जो नायब तहसीलदार भोपालगढ द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति:-
1. अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार वैष्णव उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 16.09.2019

अपीलान्टस हनुमानराम पुत्र श्री भूराराम जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम मेलाणा, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर वगैरह की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट पुखराज पुत्र श्री छगाराम जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम मेलाणा, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध नायब तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 17.08.2004 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1077 ग्राम मैलाणा को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मैलाणा की सरहद में भूराराम पुत्र तेजुराम व भागीरथ पुत्र भेराराम की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 36, 41, 42, 96, 107 से 114, 125, 126, 129, 377, 387, 388, व 389 में आई हुई थी। भूराराम के फौत होने पर दिनांक 05.12.1969 को नामान्तरकरण संख्या 115 व दिनांक 26.06.1999 को नामान्तरकरण संख्या 936 केवल भूराराम के पुत्रों के नाम भरे गये एवं पुत्रियों श्रीमती सायरी व श्रीमती जमना को खातेदारी अधिकारों से वंचित करने पर उनके विरुद्ध उक्त दोनो बहिनों द्वारा राजस्व अपील संख्या 246/1999 व 247/1999 अपर जिला कलक्टर द्वितीय जोधपुर के न्यायालय में पेश करने पर उक्त दोनो अपीले जरिये आदेश दिनांक 29.05.2000 को स्वीकृत की गई। इसी दरम्यान खसरा नम्बर 182 रकबा 194 बीघा 14 बिस्वा भी ग्राम मैलाणा की सरहद में छगनाराम, राधाकिशन, शिवनारायण पुत्रगण चौथाराम बहिस्सा 1/2 व भागीरथ, हनुमान, मोहन, बद्री पिता भूराराम 1/4, भागीरथ वल्द भूराराम 1/8 व भूराराम की बेवा का 1/8 हिस्सा आया हुआ था जिसका बंटवाडा जरिये नामान्तरकरण संख्या 213 के कर लिया।

उक्त बंटवाडा के बाद 1/2 हिस्से के खातेदारों रेस्पोडेन्टस एवं उनके पूर्वजों ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान करने पर क्रेताओं ने अपर जिला कलक्टर द्वितीय जोधपुर के आदेश दिनांक 29.05.2000 को अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर में अपने हिस्से पर की क्रय सुदा भूमि के बाबत चुनौती देने पर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 05.12.2002 को अपील स्वीकार कर अपर जिला कलक्टर द्वितीय द्वारा अपील संख्या 247/1999 में दिनांक 29.05.2000 को आदेश पारित किया कि अपीलान्टस द्वारा खरीदसुदा आराज्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की तबदीली राजस्व रेकर्ड में नही की जावे।

उक्त आदेशों की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 1077 भरा गया जिसमें भूराराम का 1/2 हिस्सा था उसमें ही राजस्व रेकर्ड तबदील करना था। यद्यपि खसरा नम्बर 182 उक्त दोनो ही प्रकरणों में शामिल नहीं था फिर भी जरिये आलौच्य नामान्तरकरण न केवल स्वर्गीय भूराराम के हिस्से में संशोधन किया बल्कि बेचानकर्ताओं का नाम फिर से 1/2 हिस्से में अमल दरामद कर दिया जिससे व्यथित होकर आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1077 दिनांक 17.08.2004 विधि विरुद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के विपरित होने, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय द्वारा अपील संख्या 246/1999 व 247/1999 में आदेश दिनांक 29.05.2000 एवं अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपील संख्या 136/2011 निर्णय दिनांक 05.12.2002 की पालना में नामान्तरकरण भरा गया किन्तु उक्त प्रकरणों में खसरा नम्बर 182 शामिल नहीं होने के बावजूद राजस्व रेकर्ड में तबदील कर देने, खसरा नम्बर 182 के मूल खातेदारों में से प्रत्यार्थीगण के पूर्व पुरुषों ने अपने 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को बेचान कर दिया एवं खरीददारों ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त से उनके हिस्से को यथावत

रखा जाने का आदेश पारित करवाया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने खरीददारों का हिस्सा अलग रखने एवं बेचानकर्ता का नाम फिर से 1/2 हिस्से के रुप में अपीलार्थीगण के साथ दर्ज कर देने, खसरा नम्बर 182 रकबा 194 बीघा 4 बिस्वा का बंटवाडा कर लिया गया था एवं अगर भूराराम के हिस्से को प्रभावित माना जावे तो भी भूराराम के वारिसान को 1/2 हिस्से के रूप में प्राप्त भूमि में ही अपीलार्थीगण (श्रीमती सायर व श्रीमती जमना) का नाम आना चाहिए या फिर भूराराम का नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं करने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय व अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के आदेशों को बिना पढे व मनमाने रुप से अमल दरामद करने में भारी त्रुटी कारित करने, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर व अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में खसरा नम्बर 182 प्रश्नगत नहीं था तथा उसके बाबत किसी प्रकार के अंकन नामान्तरकरण में किये जाने की आवश्यकता नहीं होने, एक नियमित वाद निर्णित हो गया तथा उक्त वाद के अनुसार ही अंकन किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया जाने आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्टस स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्याा 1077 दिनांक 17.08.2004 मौजा मेलाणा में संशोधन करते हुए खसरा नम्बर 182 में छगनीराम, राधाकिशन, शिवनारायण पुत्र चौथाराम बहिस्सा 1/2 का नाम हटाया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्टस की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, बावड़ी से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्टस स्वीकार कर नायब तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 17.08.2004 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1077 ग्राम मेलाणा में संशोधन करते हुए खसरा नम्बर 182 में छगनीराम, राधाकिशन, शिवनारायण पुत्र चौथाराम बहिस्सा 1/2 का नाम हटाया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार वैष्णव ने अपनी बहस में अपीलान्टस के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के कथनों में अपनी सहमति जाहिर करते हुए नायब तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 17.08.2004 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1077 ग्राम मेलाणा में संशोधन करते हुए खसरा नम्बर 182 में छगनीराम, राधाकिशन, शिवनारायण पुत्र चौथाराम बहिस्सा 1/2 का नाम हटाया जाने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकर किया तथा बहस पर मनन किया। अपीलान्टस पक्ष एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की स्वीकरोक्ति है कि ग्राम मैलाणा के खसरा नम्बर 182 रकबा 194 बीघा 14 बिस्वा में छगनाराम, राधाकिशन, शिवनारायण पुत्रगण चौथाराम बहिस्सा 1/2 व भागीरथ, हनुमान, मोहन, बद्री पिता भूराराम 1/4, भागीरथ वल्द भूराराम 1/8 व भूराराम की बेवा का 1/8 हिस्सा के बंटवाड़ा के बाद 1/2 हिस्से को रेस्पोडेन्टस तथा उनके पूर्वजों ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान करने पर क्रेताओं ने अपर जिला कलक्टर द्वितीय जोधपुर के आदेश दिनांक 29.05.2000 को अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर में अपने हिस्से की क्रय सुदा भूमि हेतु चुनौती देने पर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 05.12.2002 को अपील स्वीकार कर अपर जिला कलक्टर द्वितीय के आदेश दिनांक 29.05.2000 में अपीलान्टस द्वारा खरीदसुदा भूमि के संबंध में राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार की तब्दीली नही की जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 1077 भरा गया जिसमें भूराराम का 1/2 हिस्सा था उसमें ही राजस्व रेकर्ड तबदील करना था। यद्यपि खसरा नम्बर 182 उक्त दोनो ही प्रकरणों में शामिल नहीं था फिर भी जरिये आलौच्य नामान्तरकरण न केवल स्वर्गीय भूराराम के हिस्से में संशोधन किया बल्कि बेचानकर्ताओं का नाम फिर से 1/2 हिस्से में अमल दरामद कर दिया। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 17.08.2004 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1077 ग्राम मेलाणा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बावड़ी को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि वे उक्त नामान्तरकरण के संबंध में पूर्ण जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार बावड़ी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर